अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा
विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
09वॉं तल, सी – विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002

एफ. 53 (15) अता0 प्र0–82/द्वि. सत्र (बजट सत्र) 2025/दिविस/श.वि./342-344 दिनांक:24.03.2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.

विषयः– दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 82, श्री जरनैल सिंह दिनांक 26.03.2025 को सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 **प्रतियॉ,** माननीय मंत्री, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप–सचिव (सं0 शा0)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियों सहित।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।

उप–सचिव (सं0 शा0)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री जरनैल सिंह

दिनांक : 26.03.2025

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 82

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या एमसीडी के बायलॉज के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में बने शॉपिंग मॉल और अस्पतालों के अंदर पार्किंग में भी वाहन खड़े करने पर पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान है;	बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र में केवल वाहन ही खडे किए जा सकते हैं, बिल्डिंग बायलॉज में स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र के अन्दर वाहन खड़ें करने लिए पार्किंग शुल्क लेने या ना लेने क प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
ख	पश्चिमी दिल्ली में सुभाष नगर स्थित पैसिफिक मॉल में पार्किंग शुल्क की क्या स्थिति है;	वर्ममान में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पैसिफिक मॉल में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है ।
ग	क्या यह सत्य है कि पहले यह शुल्क नहीं लिया जाता था और अब लिया जाता है;	यह सत्य है कि पार्किंग शुल्क पहले भी लिया जाता था तथा बीच में कुछ समय के लिए यह शुल्क नहीं लिया जाता था । वर्ममान समय में यह शुल्क लिया जा रहा हैं ।
घ	यदि हां तो इसके क्या कारण है;	<u>घ एवं ङ</u> माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 21.11.2023 को पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति पुनः दी गई थी ।
ङ	यदि हां, तो एमसीडी बिल्डिंग बायलॉज के विरूद्ध जाकर पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति एमसीडी द्वारा दिए जाने के क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;	
च	जिस भी कारण से एमसीडी ने पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की जनविरोधी अनुमति दी क्या उस फैसले को जनता के भले के लिए और एमसीडी के बायलॉज के अनुसार वापस लेने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं;	<u>च, छ एवं ज</u> माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2023 के विरूद्व दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा दिनांक 29.04.2024 से निरस्त कर दिया था प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' संलग्न है।
छ)	यदि हां तो पूरा ब्यौरा दे; और	
ज)	एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शॉपिंग माल और अस्पतालों में खड़े किए जाने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लेने का क्या प्रावधान है, प्रत्येक शॉपिंग माल और अस्पताल के संदर्भ में अलग अलग पूर्ण विवरण दें?	

J.P. MEENA
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

अकुलनक - के S/C

ITEM NO.10 COURT NO.16 SECTION XIV

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 10899/2024

(Arising out of impugned final judgment and order dated 21-11-2023 in LPA No. 130/2020 passed by the High Court Of Delhi At New Delhi)

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI Petitioner(s)

VERSUS

M/S. PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD. & ANR. Respondent(s)

(FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81480/2024-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.81481/2024-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT)

Date : 29-04-2024 This petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA
HON'BLE MR. JUSTICE ARAVIND KUMAR

For Petitioner(s) Mr. Ashwani Kumar, AOR

For Respondent(s) Ms. Haripriya Padmanabhan, Sr. Adv.
Mr. Naveen Kumar, Adv.
Mr. Sanjay Chauhan, Adv.
Ms. Meenakshi Jha, Adv.
Mr. Prateek Yadav, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Delay condoned.

Heard the learned counsel appearing for the petitioner.

We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the High Court. Hence, the Special Leave Petition is dismissed.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

(KAPIL TANDON)
COURT MASTER (SH)

(NIDHI WASON)
COURT MASTER (NSH)